बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14/2021– **/पटना, दिनांक–**

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषय :– **विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना के सुलभ संचालन हेतु लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट लीज लाईन/वाई–फाई, सी०सी०टी०वी० कैमरा का क्रय एवं अधिष्ठापन, बिजली बिल का भुगतान एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए कुल रू० 2,33,83,402.00 (दो करोड़ तैंतीस लाख तेरासी हजार चार सौ दो रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध अंतिम किस्त के रूप में शेष कुल राशि रू० 68,84,062.00 (अड़सठ लाख चौरासी हजार बासठ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने के संबंध में।**

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–2612, दिनांक–23.05.2025 के द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना का पत्रांक–29, दिनांक–13.01.2025 एवं पत्रांक–177, दिनांक–19.02.2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गए अधियाचना तथा दिनांक–07.05.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन संचालित बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना सुलभ संचालन हेतु लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट लीज लाईन/वाई–फाई, सी०सी०टी०वी० कैमरा का क्रय एवं अधिष्ठापन, बिजली बिल का भुगतान एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रू० 2,33,83,402.00 (दो करोड़ तैंतीस लाख तेरासी हजार चार सौ दो रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. उक्त के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–3026, दिनांक–13.06.2025 के द्वारा बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना सुलभ संचालन हेतु लैपटॉप, डेस्कटॉप, इंटरनेट लीज लाईन/वाई–फाई, सी०सी०टी०वी० कैमरा का क्रय एवं अधिष्ठापन, बिजली बिल का भुगतान एवं अन्य आवश्यक कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2025–26 में रू० 2,33,83,402.00 (दो करोड़ तैंतीस लाख तेरासी हजार चार सौ दो रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध प्रथम किस्त के रूप में कुल रू० 1,64,99,340.00 (एक करोड़ चौसठ लाख निन्यानवे हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

3. राज्य सरकार ने उक्त स्वीकृत राशि के आलोक में अंतिम किस्त के रूप में शेष कुल राशि रू० 68,84,062.00 (अड़सठ लाख चौरासी हजार बासठ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

4. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–43 अन्तर्गत राज्य स्कीम बजट की मुख्यशीर्ष –2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष –00–, लघुशीर्ष –004– अनुसंधान, उपशीर्ष –0101– बिहार कॉउन्सिल ऑन साईंस टेक्नोलॉजी, पटना, रिमोट सेसिंग केन्द्र/"इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना" के अधीन 31 06– सहायक अनुदान–गैर–वेतन विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड 43–2203000040101 है।

5. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप निदेशक (तकनीकी), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना होगें।

6. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से की जायेगी तथा उसे CFMS प्रणाली से निदेशक –सह– सचिव (कार्यकारिणी) बिहार कॉउन्सिल ऑन साईंस टेक्नोलॉजी, पटना के नाम से पी०एल० खाता में जमा किया जायेगा, जिसका विवरणी निम्नवत् है :–

a) Deposit Account Number-PNBPLA009

b) Receipt HoA- 84480012000880001

c) Payment HoA- 84480012000880002

7. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 / वि०, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2(क) के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०– वि० प्रा० (IV) यो0–14 / 2021 के पृ० 103 / टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 वि0 (2), दिनांक–05.10.2007 अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना द्वारा प्राप्त उक्त राशि का व्यय के उपरांत उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित समय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(कुमार सिद्धार्थ)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14 / 2021– **/ पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14 / 2021– **/ पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार (निर्माण भवन), विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14 / 2021– **/ पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि– परियोजना निदेशक, बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14 / 2021– **/ पटना, दिनांक–**

प्रतिलिपि– विकास आयुक्त, बिहार –सह– अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति / निदेशक –सह– सचिव (कार्यकारिणी), बिहार काउन्सिल ऑन साईन्स एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– वि० प्रा० (IV) यो0–14 / 2021– 5381 **/ पटना, दिनांक–** 06.10.25

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव / मोनिका ठाकुर, विशेष कार्य पदाधिकारी / सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट) / लेखा शाखा (दो प्रतियों में) / आई० टी० मैनेजर (E-Mail एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

d:\2025 all so & aso\neha aso\santekh\vpra -iv- yojna-14-2021 dt -25.09.2025. best.doc